न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।

समस्तीपुर मुफसिल थाना काण्ड सं0 262/20, कम्पयूटर निबंधन सं0 594/20

18.2.21 आवेदक **1.उमेंश साह उर्फ उमेंश कुमार साह,** जो समस्तीपुर मुफसिल थाना काण्ड सं0 262/20, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 23.12.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती कंचन कुमारी के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उनके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उनके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उनका कोई संबंध नही है। उन्हें मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराएॅ उनके विरूद्व नही बनती है। उनके विरूद्व पूर्व से उत्पाद से संबंधित एक वाद लम्बित है जिसमें वह जमानत पर है। वह दिनांक 23.12.20 से काराधीन है। अतः उन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत अंकित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के क्रम में अभियुक्त नीरज साह एवं धीरज साह के घर से 375 एम0एल0 64 एवं 300 एम0एल0 का 21 बोतल तथा घटनास्थल पर खड़ी कार बी0आर031जे/7584 से 375 एम0एल0 का 2 बोतल शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। नीरज साह एवं धीरज साह आवेदक नही है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त के पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। वह दिनांक 23.12.20 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **1. उमेंश साह उर्फ उमेंश कुमार साह को** मो0 10,000/–रू0(दस हजार)रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है, कि अभियुक्त इस आशय का वचन–पत्र दाखिल करेगा, कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।

अभियुक्तगण धीरज कुमार एवं नीरज कुमार साह की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु दिनांक 4.3.21 निश्चित किया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद

20.2.21 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त उमेंश साह उर्फ उमेंश कुमार साह की ओर से बंद्य–पत्र दाखिल किया गया जिसे जॉचोपरांत सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद